10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA सत्यमेव जयते दस रुपये TEN RUPEES

10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA सत्यमेव जयते दस रुपये TEN RUPEES

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर म. प्र.

प्र. क. 86 / 2011--12

R 1055-PBR-17

भवानी सिंह पिता उम्मेदसिंह राजपुत आयु 71 वर्ष नि. टोलखेडी तह. दलौदा जिला मंदसौर (म.प्र.)

...............................आवेदक

विरूद्ध

1. राजु पिता पन्नालाल भांभी आयु 35 वर्ष नि. टोलखे तह. दलौदा जिला मंदसौर (म.प्र.)
2. लीलाबाई पति राजु भांभी आयु 32 वर्ष नि. टोलखे तह. दलौदा जिला मंदसौर (म.प्र.)
3. सीताबाई बेवा अमृतराम भांभी आयु 65 वर्ष टोलखेडी तह. दलौदा जिला मंदसौर (म.प्र.)
4. किशोर पिता अमृतराम भांभी आयु 25 वर्ष नि. टोलखे तह. दलौदा जिला मंदसौर (म.प्र.)

..............अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू रा. स. 1959

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 24 / 01 / 2017 का श्रीमान अति. कमिश्नर महो उज्जैन के न्यायालयीन प्रकरण क्र. 54 / 2016–17 में दिनांक 24 / 01 / 2017 को पा आदेश से असन्तुष्ट होकर अनावेदकगण के विरूद्ध निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

आवेदक ने ग्राम टोलखेडी स्थित भूमि सर्वे न. 399, 310 का सीमा दिनांक 20 / 06 / 2014 को राजस्व वृत अकोदडा तहसील दलौदा द्वारा गठीत सीमां दल के 6 अन्य सदस्यो द्वारा तहसीलदार दलौदा की उपस्थिति मे किया गया सीमांकन पाया गया आवेदक के सर्वे न. 310, 399 जुमला उत्तरदक्षिण 1.40 जरीव चौडाई पूर्व पश्चिम 3.00 जरीव किशोर पिता अमृतराम सीताबाई बेवा अमृतराम भांभी का कब्जा प गया।

सर्वे न. 310, 399 जुमला उत्तरदक्षिण 1.40 जरीव चौडाई पूर्व से पश्चिम 00 जरीव राजु पिता पन्नालाल भांभी लीलाबाई पति राजुभांभी का कब्जा पाया गया क अनावेदकगण द्वारा नही छोडे जाने पर आवेदक ने अनावेदक के विरूद्ध तहसील मे क दिया जाने हेतु धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। तहसीलदार दलौदा द्वारा पा आदेश दि. 29 / 08 / 2015 के द्वारा आवेदक का आवेदन स्वीकार कर अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1055-पीबीआर/17 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/10/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 54/2016-17/ अपील में पारित आदेश दिनांक 24.01.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार दलौदा के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम टोलखेड़ी स्थित सर्वे नं. 310 रकवा 0.400 हे. व सर्वे नं. 399 रकवा 0.780 हे. भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा होने से कब्जा दिलाए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 29.06.2015 द्वारा आवेदक की भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा पाये जाने से आवेदक को कब्जा दिलाए जाने का आदेश दिया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 23.06.2016 द्वारा निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक आदेश दिनांक 24.01.2017 द्वारा स्वीकार की गई एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए गए। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित बहस के दौरान मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुनवाई की गई। तथा रिकॉर्ड अपील में तलब किए बिना अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होकर आदेश	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पारित किया गया है। उक्त संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1988 आर.एन. 213 (भेरू सिंह विरुद्ध म.प्र. राज्य), 1993 आर.एन. 27 (श्यामलाल विरुद्ध म.प्र. राज्य), 2015 आर.एन. 345 (ददरौआ सरकार लोक सार्वजनिक ट्रस्ट विरुद्ध म.प्र. राज्य), 1987 का हवाला दिया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि न्यायदृष्टांत 1987 आर.एन. 438 (गलाटे तथा अन्य विरुद्ध कैशलप्रसाद), 2013 आर.एन. 346 (कन्हेदी विरुद्ध केसिया), 2005 आर.एन. 178 रा.मं. (अमरीबाई विरुद्ध मांगीलाल), 1986 आर.एन. 223 उच्च न्यायालय (प्रभूदयाल तथा अन्य वि. म.प्र. राज्य) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि संहिता की धारा 250 तथा 50 कब्जे के पुनस्थापित हेतु आवेदन-पत्र अप्राधिकृत कब्जा होने के विषय में समवर्ती निष्कर्ष कब्जा पुनस्थापित किया गया पुनरीक्षण में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 23.01.13 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त आदेश में यह उल्लेख किया था कि अनावेदकगण एवं आवेदक दोनों ही की भूमियों का सीमांकन कर सीमांकन रिपोर्ट पेश करें लेकिन पटवारी व गिरदावर द्वारा मात्र प्रत्यर्थी की भूमि का सीमांकन कर सीमांकन रिपोर्ट पेश की, वह भी अस्पष्ट है। इसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि कौन सी भूमि पर और कितनी जमीन पर अनावेदकगण का अवैध कब्जा है। और उक्त सीमांकन कार्यवाही में अनावेदकगण को न तो बुलाया गया है और न ही अनावेकदगण की उपस्थिति में सीमांकन किया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदकगण भांबी जाति के व्यक्ति होकर गरीब भूमिहीन मजदूर वर्ग हैं जबकि आवेदक गांव के जमींदार हैं और 100.150 बीघा कृषि भूमि है और अनावेदकगण का पट्टे वाली भूमि से कब्जा चला गया तो अनावेदक भूखे मर जावेंगे और पट्टे वाली भूमि को उपजाऊ बनाने में हुआ खर्च व परिश्रम डूब जावेगा। इसी स्थिति को ध्यान में	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1055-पीबीआर/17 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	रखते हुए अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाना न्यायोचित होगा। उसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावेदकगण को ग्राम टोलखेडी की शासकीय भूमि जिसका नवीन सर्वे नं. 400 में से 0.25 एवं 0.25 आरे भूमि का पट्टा तहसीलदार मंदसौर द्वारा आदेश दिनांक 27.07.02 द्वारा दिया गया है। आवेदक द्वारा कलेक्टर मंदसौर के समक्ष नक्शा दुरुस्ती के आवेदन पर तहसीलदार द्वारा आवेदक की भूमि का सीमांकन किया गया। जिस पर अनावेदकगण का अवैध कब्जा पाये जाने से आदेश दिनांक 29.06.15 द्वारा कब्जा दिलाए जाने का आदेश पारित किया गया। जबकि तहसीलदार को यह विचार करना चाहिए था कि अनावेदकगण को शासकीय पट्टे पर दिए गए हैं, और आवेदक की भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा है तो आवेदक की भूमि के सीमांकन के साथ अनावेदकगण के पट्टे की भूमि का भी विधिवत सीमांकन करवाना चाहिए था ताकि वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सके। उक्त आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायिक, औचित्यपूर्ण एवं विधिसंगत होकर स्थिर रखे जाने योग्य है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायाचित नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	